न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 11/2016

उनवान

1. बख्ती पत्नी गंभीरा,
2. जगराम,
3. देवा,
4. गोविन्द,
5. उगमा पि. गंभीरा, समस्त जाति गुर्जर नि0 लवेरा, नसीराबाद

—— वादीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. इब्राहिम मोहम्मद पुत्र गफूर मोहम्मद फौत जरियें वारिसान
1/1. गफूरन पत्नी इब्राहिम
1/2. मीरा पत्नी इब्राहिम
1/3. नजमा पुत्री इब्राहिम
1/4. साहिद अली पुत्र इब्राहिम
1/5. शाहनवाज पुत्र इब्राहिम
1/6. शरीफ ना.बा पुत्र इब्राहिम
1/7. नगमा बानो ना.बा. पुत्री इब्राहिम जरियें संरक्षिका माता समस्त जाति मुसलमान नि. सोमलपुर तह. व जिला अजमेर,
2. ट्रस्ट आदि वेलफेयर टस्ट पंजीकृत कार्यालय 101 गगनदीप बिल्डिगं 12 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली जरियें प्रतिनिधि सुरेन्द्र कुमार पुत्र चरणदास, सैनी ग्राम पोस्ट भरथ काजी चक तहसील व जिला गुरूदासपुरा
3. उप पंजीयक अधिकारी नसीराबाद,
4. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 3 व 4 जरियें राज0 पैरोकार, शेष अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी ★ नसीराबाद (जिला-अजमेर) ★

—: निर्णय :— दिनांक :— 26.12.24

वादीगण ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लवेरा के हाल खसरा नम्बर 484 रकबा 0.46 व 483 रकबबा 0.25 की आराजी वादीगण की खातेदारी की है। उक्त आराजी पर वादीगण वर्षो से काबिज काश्त चले आ रहे है। तथा उपयोग—उपभोग कर अपने परिवार का पालन [illegible] मुतनाजा पर अन्य का कोई हक व अधिकार नही है। प्रतिवादी संख्या 1 जो कि [illegible] व दलाल है के द्वारा दिदनांक 20.11.2012 को आराजी मुतनाजा [illegible] वादी संख्या 2 के पक्ष में निष्पादित करवाया गया। उक्त विक्रय पत्र वादी[illegible] के हितों पर बातिल बेअसर व शून्य है। उक्त फर्जी विक्रय पत्र के विरूद्ध पुलिस थाना [illegible]नगर में मुकदमा अन्तर्ग[illegible] 420, 467,

——2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:08:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)